

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीलवाड़ा
पीठस्थीन अधिकारी शिबि त्यागी (आई.ए.एस.)

पकरण संख्या : 81/2018 प्रार्थना पत्र

उत्तरान

बनाम श्री मोहसिन अहमद
 30 बेलक स्टान्स प्रो श्री मोहसिन अहमद
 शेख पिता जियाउद्दीन शेख निवासी आन-10
 61/5, औद्योगिक भूमि, खजाला फार्म के
 सामने, ग्राम डुवाल तह माण्डल जिला
 श्रीलवाड़ा
 —अप्रार्थीया

— प्रार्थी

प्राधिकृत अधिकारी, शाखा प्रबन्धक, यूको
 बैंक, औद्योगिक क्षेत्र शाखा श्रीलवाड़ा
 (राज0)

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और
 पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002
 उपस्थित:- वकील प्रार्थी - उपस्थित**

निर्णय

दिनांक : 22/05/2018

प्राधिकृत अधिकारी, शाखा प्रबन्धक यूको बैंक, औद्योगिक क्षेत्र शाखा, श्रीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रवर्तित किया। जिसमें प्रार्थी प्रतिभूति ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी डेकॉर्ड व डेसक में प्रो श्री मोहसिन अहमद शेख को प्रार्थी के प्रतिभूति प्रदान की थी। उक्त प्रार्थी के पेटे में प्रतिभूति के बतौर ग्राम डुवाल तहसील माण्डल में स्थित आन-10 61/5 रकबा 1.00 बीघा भूमि श्री नैमीचन्द पिता छीतरमल बोहरा से अप्रार्थी मोहसिन अहमद ने जारिय प्रार्थी के आदेश क्रमांक 11.04.2014 से क्रय कर उक्त आराजी नम्बर 61/5 रकबा 1.00 बीघा में से 0.13 बीघा कुल 1644 वर्गमीटर भूमि उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के आदेश क्रमांक 16.09.2014 से औद्योगिक दिनांक 16.09.2014 से औद्योगिक प्रयोजनार्थ (स्टोन कटिंग एण्ड पॉलिशिंग हेतु) संपरिवर्तित भूमि को रदन रखा गया। उक्त सम्पत्ति श्री मोहसिन अहमद शेख निवासी महताब की टाल के पास, जूनावास श्रीलवाड़ा के स्वामित्व का है जिस रदन रखा गया। अप्रार्थी के द्वारा तयबुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए प्रार्थी का भूगतान नहीं किया गया। उक्त प्रार्थी की अदालती के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया प्रार्थी ने प्रार्थी को खाली को भी परफार्मिंग एग्जेंस घोषित कर दिया है। प्रार्थी ने प्रार्थी के पक्ष में रदन रखी गई साम्बिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-

1. रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा